## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क. $/ 280$ /का.सेल. / 24

देवास दिनांक 27)0372024

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्वामी श्री अशोकसिंह चावडा पिता श्री नारायणसिंह चावडा $10 / 1$ चन्द्रलोक नगर देवास विकासकर्ता जीवी डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री विकास क्षोत्रिय पिता श्री सुरेशचन्द्र क्षोत्रिय 2316-ई सुदामा नगर इंदौर, श्री गोपाल सिंह कुशवाह पिता श्री तेजपाल सिंह कुशवाह नवलक्खा चौराहा 401 सिद्धार्थ विहार 12-13 प्रकाश नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास सिनियर तहसील देवास जिला देवास स्थित खसरा क. $384 / 3$, $387 / 2 / 1,387 / 4$ कुल रकबा 0.848 हैक्टर में से 0.799 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय अशोक आंनद पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1851.43 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 13 से 25 एवं 26 से 42 कुल 30 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1851.43 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता हैं कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णत: अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $1243 /$ का.सेल. $/ 24$
देवास दिनांकश $6103 / 2024$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा मेसर्स कनक काउन खसरा न. 902 ट्रेजर प्राईम के सामने बिजलपूर इंदौर तर्फे पार्टनर श्री मनमीतसिंह सलुजा पिता श्री मनमोहन सिंह सलुजा, श्री संदीप सिंह सलूजा पिता श्री मनमोहनसिंह सलूजा निवासी $861 / 1 / 5$ ट्रेजर टाउन बिजलपूर इंदौर, श्री राजेश कुमार सोनी पिता श्री जवाहरलाल सोनी निवासी 169 एम.जी.रेड देवास, श्री देवेन्द्र शर्मा पिता श्री तुलसीरामजी शर्मा निवासी वी-2/12 वसंत विहार उज्जैन, श्री प्रमोद गुप्ता पिता श्री कैलाशचन्द्र जी गुप्ता निवासी 31 रामनगर देवास द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास जिला देवास स्थित खसरा क. $218 / 1,219,221 / 11,221 / 2$ कुल रकबा 3.455 हैक्टर में से 3.235 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय काउन पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 6157.54 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 119 से 186 तथा SR 209 से SR 220. कुल 80 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6157.54 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

## रीजिय



## कार्यालय नगर पालिक निगमं देवास (म.प्र.)

देवास दिनांकण9) $\left.)_{02}\right)_{2024}$
क्र. 11)/का.सेल./24

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा साई डेवकॉन तर्फे पार्टनर श्री दीपक पिता 纸 हराराम हिन्दुजा निवासी $10 / 1,501$ न्यु पलासिया इंदौर , श्री पियुष पिता श्री आजाद कुमार शर्मा निवासी 17 गोयल ऐवेन्यु निपानिया इंदौर द्वारा ग्राम शंकरगढ जिला देवास स्थित खसरा Ф. $334 / 1 / 2, \quad 334 / 2 / 2, \quad 334 / 3, \quad 347 / 1 / 2 / 2, \quad 347 / 2 / 2 / 2$, $348 / 1 / 4 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2, \quad 348 / 1 / 4 / 2 / 2, \quad 348 / 1 / 6 / 2, \quad 350, \quad 351 / 1 / 2$, $352 / 1,353 / 1$ कुल रकबा 1.921 हेक्टर में से 1.9177 हैक्टर भूसि पर प्रस्तावित आवासीय साई छाया कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के. एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4534.61 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 04 से $14,18,21$ से $30,46,47,59,60$, 61,66 से 70,73 से 87,89 से $94,97,105,128,133,139$ कुल 58 भूखुण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4534.61 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/ विक्य नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## विज्ञाप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भौमियाजी लैण्ड़ एण्ड फायनेंस कंपनी तर्फ भागीदार श्री गौरव जैन पिता स्व.श्री कैलाश कुमार जैन, श्रीमती मंजुबाला जैन पति स्वश्री कैलाश कुमार जैन 90 शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. $1178,1179 / 1,1179 / 2,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187$, 1188. 1201 कुल रकबा 4.755 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री. कैलाश मानसरोवर कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखुण्ड क्षेत्रफल 9868.91 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से $22,45,56,57,58,88,93$ से 111,116 से 124,130 से 153,173 से $179,191,192,216,217,242,243,278,279$ कुल 94 भुखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गयें भूखण्डों का क्षेत्रफल 9868.91 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेंटे निगम में बंधक रखे गयें है।

अतः सूचित किया जाता है' कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तकं उपरोक्त भूखण्डों का क्य/ विकय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $/ 53$. का.सेल. $/ 23$
देवास दिनांक 15 )01/2024

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निंगम देवास द्वारा रूद्राक्ष इन्फा तर्फे भागीदार श्री गौरव जैन पिता स्व. ${ }^{\text {b }}$ श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीन सिंह पिता श्री गंगासिंह सोलंकी, श्री इन्द्रेश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पमनानी, पता 90 शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनिंयर तह. वं जिला देवास में स्थित खसरा क. $786 / 2,787 / 2,788 / 1,903 / 2$ कुल रकंबा 0.569 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कालोनी रूद्राक्ष फेस-2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रंदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1305.33 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01,10 से 34 कुल 26 भूखंण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गंये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1305.33 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अत: सूचित किय़ा जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (ग.प्र.)

क्र. $/ 60$ /का.सेल. $/ 26_{1}$
देवास दिनांक15101)2024

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा मेसर्स कान्हा इन्फाटेक तर्फे भागीदार श्री मयंक पिता श्री प्रमोद रघुवंशी, श्री अंकित जायसवाल पिता श्री राजेन्द्र ज़ायसवाल, श्री धनपाल पिता श्री सौवाल सिंह 101 मिश्रीलाल नगर देवास द्वारा ग्राम जेतपुरा तहसील देवास जिला देवास स्थित खसरा क. $477 / 2 / 2$ कुल रकबा 0.678 हैक्टर में से 0.579 हैक्टर भूमिं पर प्रस्तावित आवासीय कान्हा ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई हैं। उक्त कालोंनी के विकास का़्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयंक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1582.25 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 03,09 से 15,20 से 23 , 30 से 36 एवं 45 सें 49 कुल 26 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1582.25 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि. जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/ विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


देवास दिनांका2/01/2024

## विज्ञप्ति

नगऱ पालिक निगम देवास द्वारा सांवरिया डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री बिरजु पिता श्रि देवरावजी थोरात, श्री अखिलेंश सोनी पिता श्री किशोर सोनी, श्री कमल आहुजा पिता श्री श्यामसुंदर आहुजा, श्री दर्श्रन शाह पिता श्री त्रिलोकचंद शाह, श्री हेमंत पिता श्री श्ररदचंद्र क्षीरसागरे 01 सांवरिया कालोनी मेण्डकी रोड देवास द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास जिला देवास की भूमि सर्वे क्र. $218 / 2,221 / 6 / 2$ एवं $221 / 7 / 1$ कुल रकबा 2.530 हैक्टर में से 2.423 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावितं आवासीय सांवरिंया ग्रीन कालोनी को विकास कार्य प्रारभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।'उक्त कालोनी के बिकास कार्य के एवंवंज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4704.14 वर्ग़मीटर के भूखण्ड क. 01 से 53,165 से 168,148 एवं 149 कुल 59 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4704.14 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक ऱखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भाऱुुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्ड़ों का क्य/विक्रय नही कियाए जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्गतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


क्र. 1273 का.सेल. $/ 23$
देवास दिनांक $20 / 12 / 2023$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्वामी मेसर्स कामधेनु ऐजेंसी तर्फे श्री गोविंददास मुंदडा पिता श्री किशनलाल (उर्फ कृष्ण मुंदडा), श्रीमती लीलादेवी मुंदडा पति स्व.श्री नारायणदास मुंदडा, श्रीमती उर्मिला मुंदडा पति श्री गोपालदास मुंदडा, 24. एचआयजी विजय नगर देवास विकासकर्ता विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री रामनिवास मित्तल 122 शांती निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खंसरा क. $833 / 6,838 / 2,854$ कुल रकबा 1.610 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक प्रिमियम फेस-1 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज़ में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3128.16 वर्गमीटर के भूखण्ड क्र. P-2, P-5 से P-27 कुल 24 भूख्रण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3128.16 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्ड़ों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/किक्रय नही किया! जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय किया जाता है वो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगस देवास (म.प्र.)

क्र. 1265 का.सेल. $/ 23$
देवास दिनांक (9)/2) 2023

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री रामनिवास मित्तल 122 शांती निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में रिथत खसरा क. $839 / 2,853$ कुल रकबा 2.937 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक प्रिमियम फेस-2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभकरने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4712.97 वर्गमीटर के भूखण्ड क. $\mathrm{S}-137, \mathrm{~S}-146, \mathrm{~S}-147, \mathrm{~S}-29$ से $\mathrm{S}-46, \mathrm{~S}-63$ से $\mathrm{S}-69, \mathrm{~S}-77, \mathrm{~S}-84$ से $\mathrm{S}-88, \mathrm{~S}-90$ से $\mathrm{S}-92$ कुल 37 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4712.97 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता हैं कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूंखं्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय क्रिया जाता है (तों वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

## 1238 का.सेल./23

 देवास दिनांक O4) 12$)_{2083}^{8023}$
## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा हर्षिता डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल ात श्री किशनलाल अग्रवाल, श्री प्रमोद गुप्ता पिता श्री कैलाशचन्द्र गुप्ता 31 रामनगर देवास T ग्राम बिंज़ाना तहसील देवासं जिला देवासं कीं भूमि सर्वे क. $211 / 2$ एवं $214 / 3 / 2 / 1$ † रकबा 0.530 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय हर्षिता विहार कालोनी को विकास कार्य भ करने की अनुमंति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में धित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूंखण्ड क्षेत्रफल 2634.86 वर्गमीटर के ण्ड क. 01 से 27,31 से 37,39 से 43, SR-3 एवं $\mathrm{SR}-4$ कुल 2634.86. व़र्गमीटर है। आस कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किंया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम सैं डवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय / विक्क्य नही किया 11 यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः धानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

> क्रू

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा भूमिस्वामी श्री चिंतामन पटेल पिता श्री श्यामलाल उर्फ श्री बद्रीलाल, श्री जितेन्द्र मोदी पिता श्री गोविंद मोदी विकासकर्ता पेडर्स कार्पोरेट प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री पकंज व्यास पिता श्री बाबुलाल व्यास, श्री राकेश जोशी पिता श्री भवानीशंकर जोशी, श्रीमती अनिशा पति श्री पंकज व्यास प्लाट न. 102 आनंद इन्क्लेव सोसायटी 33 ए अमृत पैलेस निपानिया इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ तहसील व जिला देवास स्थित भूमि खसरा कमांक $125,126,128,96 / 2 / 1,96 / 4 / 3 / 1,98 / 1$ कुल रकबा 5.919 हैक्टर में से 3.479 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित देवास इण्डस्ट्रीयल पार्क कालोनी औद्योगिक विकास को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 6496. 67 वर्गमीटर के भूखण्ड $\Phi .01,11,12,13,17,21,27,30,32$, एवं 33 कुल 10 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6496.67 वर्गमीटर हैं। विकास कार्य पेंटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूंखण्डों को निगम से विधिक्त भारंमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

## Rश्य <br> 26-10-23



## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. 1180
/का.सेल. / 23
देवास दिनांक 3011012023

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स तर्फे पार्टनर श्री मोनेश जैन पिता श्री नेमीचंद जैन, श्री सुनिल कौशल पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल, श्री अभिषेक मित्तल पिता श्री श्री रामनिवास मित्तल 122 शांती निकेतन विजय नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 1192, 1193, 1194/3, 1195, $1196 / 1,1232 / 3,1232 / 4,1234 / 2,1235 / 1 / 2,1235 / 2$ कुल रकबा 2.272 हैक्टर में से 2.272 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय स्वास्तिक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में संबंधित द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4350.00 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01,34 से 38,39 , से 45,75 से $76,77,114$ से 119,120 से 125,146 से 150 , 154,156 से 162,166 से 173,174 सें 190 कुल 66 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4350.00 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक संबंधित द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्र / विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है नो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

$\frac{4 \frac{1}{21021}}{30 \cdot 10 \cdot 23}$

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / $1 / 34 /$ का.सेल. / 23

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री अजय अग्रवाल पिता श्री रमेश कुमार अग्रवाल 73 बी शालनी रोड देवास द्वारा ग्राम बालगढ तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. $45 / 2 / 1,45 / 2 / 2 / 2,45 / 3 / 2$ कुल रकबा 0.632 हैक्टर में से 0.631 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय वैदिक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1870.29 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से $12,33,34,41$ से 45 एवं 47 से 49 कुल 22 भूखण्ड बंधक रखे. गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1870.29 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है ।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. / $1124 /$ का.सेल. $/ 23$
देवास दिनांक 05/10/2023

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर गंगा बिल्डकॉन तर्फे श्री विनोद पिता श्रीं जेठानंद हासानंदानी, श्री उत्कर्ष पिंता श्री मनोज राजानी $16 / 3$ सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इंदौर द्वारा ग्राम मेढकीचकं तहसील देवास जिला देवास की भूंमि खसरा क. 445 , 446, $447 / 1,473 / 2 / 1,473 / 2 / 2,473 / 3,484 / 1,484 / 2,485 / 1,485 / 2$, $485 / 3,485 / 4,485 / 5,486 / 1,486 / 2,486 / 3,486 / 4,487,488,489 / 1,489 / 2$, $489 / 3,490 / 1,490 / 2,491,528 / 1, .529 / 1$ कुल रकबा 2.224 हैक्टर में से 2.194 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गंगा पेरेडाईज कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारी उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3941.75 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 13 से 18,29 से 52,96 से 104,109 से 118 कुल 49 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त वंधक रख्ये गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3941.75 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय /विंक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता हैीनो वहं पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म:प्र.)

क्र. / 1102 /का.सेल. $/ 23$
देवांस दिनांक $27 \log /, 2023$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स ट्रायडेंट डेक्हलपर्स तर्फे श्री आनंद पिता श्री वाल्मिकी चौरसिया, श्री विवेक पिता श्री भेरूलाल पाटीदार, श्री मुकेश पिता श्री बनेसिंह दीवान, श्री अर्जुन पिता श्री दरियावसिंह चौधरी 57 जेएसएम त्रिगोनें नवरत्न हैरिटेज बालगढ रोड देवांस द्वारा ग्राम ईटावा तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. $3 / 1 / 2 / 1,3 / 2 / 1$ कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गोल्ड सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में. कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय द्वेवास के मांध्यम से भूखण्ड क्षेत्र्रफल 8238.56 वर्गमीटर के भूखण्ड क. $1,2,17$ से 42,57 से 60,76 से 86,100 से 111 , 127 से 140,176 से 196, 199 से 210 एवं 212 से 227 कुल 36 .भूखण्ड बंधक रखे गये हैं। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 8238.56 , वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूंचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वांरा इन भूखण्डों को निगम से विधिवते भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नही किया जावे। यदि भार्रमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्रय किया जाता है हो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री सिद्धीविनायक डेवलपर्सं तरे पार्टनर श्री.कपिल कारला पिता श्री माधवदास कारला श्री प्रदीप पिता श्री रामप्रसाद चौधरी, श्री मनीष पिता श्री माधवदास कारला 64 कैलाश पार्क गीता भवन इदौर द्वारा ग्राम बालगढ तहसील देवास जिला देवास की भूमि खसरा क. 178/1, $178 / 3 / 1,178 / 4$, $178 / 5 / 2,179 / 2$ कुल रकबा 1.665 हैक्टर में से आवासीय श्री सिद्धीविनायक विहार कालोनी को किसार्य की गई है। उक्त कालोनी के विकास कर्य . 7.44 मी इजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4467.44 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 06 से 10 , $19,20,30$ से $36,49,50,63$ से 96 कुल 49 भूखण्ड बंधक रखे. गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4467.44 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तबं तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखंण्डों का कय/विक्र किया जाता है वह पूर्णत: अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

wh
-09-23.

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

 क्र. $1293 /$ का.सेल. $/ 22$ देवास दिनांक $11102 / 2022$
## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री नाथ ऐसोसिएट्स देवास तर्फे श्री ओमप्रकाश यादव पिता श्री हीरालाल यादव, श्री राकेश पिता श्री भुरालाल, श्री विनोद पिता श्री रमेशचन्द्र, श्री सोहनलाल पिता श्री प्रहलाद निवासी 03 शुकवारिया हाट देवास द्वारा ग्राम देवास सिनियर स्थित भूमि सर्वे क. $441 / 6 / 2,441 / 5$ कुल रकबा 0.739 हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय कृष्णा ग्रीन्स कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 1961.38 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 02, 07, 08, 11, 12, 13, 18, 19, 25 से 34,36 से 46 एवं 53 कुल 30 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1961.38 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवंत्रहैंगा।


# कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.) <br> क्र. $/ 250 /$ का.सेल. $/ 22$ 

देवास दिनांक०7/0212022

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री रूद्राक्ष इन्फा निवासी 90 शालीनी रोड देवास तर्फे श्री गौरव जैन पिता श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीन सिंह पिता श्री गंगासिंह सोलंकी, श्री इंद्रेश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पंमनानी द्वारा ग्राम देवास जुनियर स्थित भूमि सर्वे क. $782 / 3,784 / 3,785,786 / 1,787 / 1,902 / 1,903 / 1$, 904, $905 / 2$ रकबा 1.331. हैंक्टर भूमि पर श्री रूद्राक्ष कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोर्नईजर द्वारा 2562.62 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 07 . से 16,24 से 33,54 से 61,64 से 74,119 से $122,127,149,150$ कुल 46 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2562.82 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्र/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत ऱहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.) <br> क्र. $/ 256 /$ का.सेल. $/ 22$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स विनायक कंस्ट्रक्शन एण्ड डेकलपर्स तर्फे पार्टनर भी मोनेश पिता श्री नेमीचंद जैन , श्री राजेश जैन पिता श्री नेमीचंदु जैन, श्री सुनील पिता श्री त्रिलोकचंद कौशल निवासी एलजी-2, 351 -ए महालक्ष्मी नगर इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ जिला देवास स्थित भूमि सर्वे क.23/3/3, $23 / 3 / 4,23 / 3 / 5,23 / 3 / 6,23 / 4 / 3 / 2,23 / 4 / 4 / 2,23 / 4 / 5 / 2$, $23 / 4 / 6 / 2$ रकबां 1.337 हैक्टर भूमि पर स्वास्तिक सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3218.32 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 27 से 46,77 से 80,82 से 106 कुल 49 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3218.32 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेंटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नही किया जावे। यदि भारमुक्त सें"पूर्वें उक्त भूखण्डों का कय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क., $840 /$ का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक 20105$)_{202}$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोगाईजर गेसर्स मॉं कामाख्या रियलिटिज तफें भागीदार श्री शकरलाल पिता शी किशोरीलाल शर्मा, श्री इशान जैन पिता श्री प्रदीप जैन निवासी 01 भक्त प्रहलाद नगर इंदौर द्वारा ग्राम देवारा सिनियर रिथत भूमि सर्व क. 413 रकवा 4.173 हैक्टर भूलि प्रस्तावित आवसीयीय धी किशनधाम कालोनी को विकास कार्य प्रारें करने की अनुसति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3598.81 वर्गमीटर के भूखुण्ड क. 01 से 60 कुल 60 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त वंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3598.81 वर्ग्मीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अंत्रूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम सो विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नह्धा किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

$\frac{\alpha^{4} \frac{1}{20} \frac{1}{20} 5^{2 \cdot 2}}{202}$

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $/ 646 /$ का.सेल. $/ 22$ देवास दिनांक 23105120

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स श्री शिवाय बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स तर्फ भागीदार श्री मनीष पिता श्री तेजसिंह ठाकुर श्री अश्विन पिता स्वश्री कृष्णराव दुबे. श्री हरीश पिता श्री रतनलाल सचदेव, श्री निलेश पिता श्री महेशचन्द्ध जाजु श्रीमती राधा पति श्री प्रेमकुमार अग्रवाल, श्री अंकितसिंह पिता श्री सुभाषसिंह ठाकुर निवासी एबी रोड बिलावली देवास द्वारा ग्राम मेढकीचक जिला देवास के खसरा $\$ 619 / 1$ कुल रकवा 0.732 हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय श्री शिवाय धाम कालोनी को विकास कार्य प्रारम करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2255.79 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 06,16 से 19, 31, 35, 36, 40 से 47,48 से 55 , 64.73 से 81 कुल 39 भूखण्ड बधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2255.79 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधितत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विक्य नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णत अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $/ 593 /$ का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक 12105

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूपिर्वामी श्री जाकिरउल्ला पित श्री सादुल्ला शेख, श्रीमती जहीर ती पति श्री शफीजल्ला शेख, श्रीमती कीसर पर्यान पित श्री शफीउल्ला शेख. श्रीमती राज्जो परर्वान पिता श्री शर्फीडल्ता शेख निबारी ब्यू-14 सूपर मार्केट देवास तरे विकासकर्ता गंगा डेककान प्रायवेट लिमिटद $16 / 3$ सम्यक टावस ओल्ड पलासिया इदौर तर्फ डायरेक्टर डॉंहरीश मगलानी पिता श्री गगागराम मगलानी. थ्री पवेल राजानी पिता श्री मनोज राजानी, श्री हर्ष हासानदानी पिता श्री विनोद हासानदानी. एवं (सीईओ) श्री विनोद हारानंदानी पिता श्री जेठानंद हासानददानी नियासी $16 / 3$ सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इददरर द्वारा देवास सिनियर स्थित भू⿵ि सर्व क $397 / 2$ रकबा 0.434 हैक्टर में से 0.308 हैक्टर भूमि तथा $397 / 3$ रकबा 0.464 हैक्टर कुल रकबा 0.772 हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवार्सीय गंगा विहार एवंश्रन 2 कालोनी को विकास कार्य प्रारम करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 1665.09 वर्गीटिर के भूखण्ड के 01, 02, 15, 16,17 से 21.22 से 28.40 से 44 कुल 21 भूखण्ड वंधक रखे गये है। उक्त बधंक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1665.09 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में वंधक रखे गयें है। अत रूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारुुक्त नही करा लिये जाते तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नही किया जावे। यदि भारुमक्त से पूर्व उक्त भूखण्डो का कय/विक्य किया जाता है तो वह पूर्ण्त अवैध्यानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


# कार्यालय नगर पालिक निगण देवारा (म.प्र.) 

कर. $1538 /$ का सोल $/ 22$

## विज्ञपि

नगर पालिक निगम देवारा द्वारा कालोनाईंजर यूfिवामी की वीलाल (बदोयराएद) पिता स्वद्री आसाराम मोहरी, द्रीमती रभावाई पती श्री मदलाल गाही, क्री गजन्द निता श्री बह्दीलाल मोहरी, श्री दिनेश षिता श्री ददोलाल मोहरी नियार्रा 152 202/1 मीना बाजार $ए$ वीरोड देवास तथा विकासकता वरदान छन्माबिल्: द्वारा भागीदार ब्रामती निति पति श्री नितिन शिरपुरकर निवारी 601 ए आम गुरूदेव काम्पलेकर विजग नगर इतीर शीमती प्रगति पति श्री विदेके दिवाकर शिरपूरकर निवासी 525 गोमल दिलर रुजजना गणेश मंदिर के पास इदौर तर्फ ग्राम देवास सिनियर तहरील देवास fिeत पूभि यद्व कठ $575 / 1,575 / 2,575 / 3.576 / 2,577 / 1,578 / 3,579 / 1.580 / 1$ एव $581 / 1$ कुल रकबा 1.102 हैकटर भूनि प्रस्तवित आवासीय आनद विहार लंकव्यू कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गईं है। उक्त कालानी के विकासा कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3404.75 वर्गमीटर के भूखण्ड क 01 से 09,16 से 21,25 से 31,39 से 49,54 से 64,68 से 80 कुल 57 भूखण्ड बंधक रसे गये है। उक्त बधक रखे गयें भूखण्डों का क्षेत्रफल 3404.75 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेट निगम में बधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों का निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते. तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/चिक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $1508 /$ का सेल. $/ 22$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्रीमती शांतीबाई कसेरा पति ख.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, श्री संजय कसेरा पिता स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा. श्री अनिल कसेरा पिता स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद कसेरा, श्रीमती ममता पति श्री महेन्द्र कुमार कसेरा, श्रीमती अनिता पति स्व.श्रीसत्यनारायण कसेरा, श्री हर्ष कसेरा पिता स.श्री सत्यनारायण कसेखा, दिशा पिता स्वश्री सत्यनारायण कसेरा. श्रीमती रानी पिता स.श्री मनीष कसेरा निवासी 53 सुभाष चौक के पास असाडा रोड देवास विकासकर्ता सनशाईन कस्ट्रकशन 207 सेकण्ड फ्लोर धन ट्रिडेंट नगर इदौर तर्फे श्री बालकृष्ण पटेल पिता श्री राधेश्याम पटेल निवासी ग्राम दसोडा तहसील सनावद जिला खरगोंन द्वारा ग्राम देवास सिनियर जिला देवास के खसरा क.38, 39/1/1, 40/1, 41/1, 43, 40/2. 41/पैकी. 47. $55 /$ पैकी कुल रकवा 4.31 हेक्टर में से 3.190 हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय श्री राजशांती ग्रीन्स कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 8563.82 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 6 से 23,25 से 31,34 से 41,43 से 46,49 से 52,55 से 62 एवं 84 से 92 कुल 58 भूखण्ड बधक रखे गये है। उक्त बधधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 8563.82 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विक्य नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $/ 803 /$ का.सेल. $/ 22$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवारा द्वारा कालोनाईजर राई कृपा डेवलपर्स तर्फ भागीदार श्री परीक्षित जोशी पिता श्री राजेन्द्र जोशी , श्री मिलींद पिता श्री राजेन्द्र जोशी. श्री पुष्पेन्द्र कुमार पिता श्री कल्याणमल माहेश्वरी 101 सुराना नगर बडवाह तहबडवाह जिला खरगोन द्वारा ग्राम देवारा सिनियर में रिथत खसरा $\$ .422 / 1 / 13 / 1 / 1 / 2$ कुल रकबा 1.779 हैक्टर भूमि प्रस्तवित आवासीय विनायक ऐवेन्यु कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2638.46 पर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 सें 15,99 से 109 कुल 26 भूखण्ड वधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2638.46 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में वंधक रखे गये है। अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डो को निगग से विधिकत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नही किया जावे। यदि मारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णत: अवधधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $1^{792} /$ का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक 22)०612022

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स मेसर्स नानक डेवलपर्स तर्फ पार्टनर रसमीत सिंह पिता श्री अजीतसिंह मल्होत्रा, श्रीमती जसमीतसिंह कौर पति श्री रसमीतसिंह मल्होत्रा, श्रीमती अमृत कौर पति श्री अजीतसिंह मल्होत्रा निवासीगण 52 नेहरू वार्ड अलका टाकिज के पास पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा ग्राम देवास जुनियर स्थित भूमि सर्वे क. 890 रकबा 2.0590 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय गोल्डन सिटी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3846.43 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01.05 से 13,46 से 51,58 . $59,61,69,76$ से 81,96 से 101,115 से 123 एवं 136 से 141 कुल 47 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3846.43 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्य नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


$$
\frac{41 / 2}{226.22}
$$

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. 825 /का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक 01 l०7/202

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स भूमिख्वामी सिल्यर लाईस लैण्ड एण्ड फायनेंस कपनी तर्फ भागीदार श्रीमती शीतल महाजन पति भी सिद्धार्थ शंकर महाजन निवासी 305 विशाल ऐवेन्यु नाथ मंदिर रोड इंदीर, भ्रीमती निलिमा महाजन पति की अशोक कुमार महाजन $45 / 3$ मोली बंगला देवास, श्रीमती मीना जन पिता औी रमणलाल महाजन 161 तिलक नगर देवास, मेसर्स सिद्धार्थ रांकर अशोक कुमार महाजन एयदूसक कर्ता सिद्धार्थ शंकर महाजन पिता श्री अशोक कुमार महाजन $45 / 3$ मोती बंगला देवास तर्फ विकासकर्तो गंगा बिल्डकौन $16 / 3$ सम्यक टावर ओल्ड पलासिया तर्फ श्री विनोद हासानदानी पिता शी जेठानंद हासानंदानी, श्री उत्कर्ष राजानी पिता श्री मनोज राजानी द्वारा य्याम मेढकीचक जिला देवास के खसरा क. $483,492 / 1,493 / 1$ कुल रकबा 0.906 हैक्टर मुमि प्रस्तवित आवासीय श्री. शंकर गंगा पेराडाईज कालोनी को विकास कार्य प्रारंम करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 1431.19 वर्गमीटर के मूखण्ड $\$ .23$ तथा 24 से 42 कुल 20 भूखण्ड बर्यक रखो गये है। उक्ता बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1431.19 वर्ममीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में स्यक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन मूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते. तय तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्या नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किय्या जातात है ती पह पूर्पात अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

## कार्यालय नगर पालिक निंगम देवास (म.प्र.)

क्र. $/ 852$ /का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक $12107 / 2022$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईंजर भूमिस्वामी श्री जलालउद्दीन पिता सरफुद्दीन, श्री सईदउद्दीन पिता सरफुद्दीन निवासी मोहनसिन पुरा देवास, श्री संतोष पिता श्री श्यामंसुदर श्रीवास्तव 67 शांती निकेतन इंदौर विकासकर्ता मेसर्स आराध्या डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री पंकज पाण्डे पता श्री धनश्यामदास पाण्डे, श्रीमती निधी पाण्डे पति श्री पंकज पाण्डे निवासी 602 अल्सटर मेरी शालीमार टाउनशीप इंदौर द्वारा ग्राम बीराखेडी तहसील देवास रिथत भूमि सर्वे क. $221 / 5,221 / 9,221 / 10,224 / 2,225,226,227,228$, $229 / 2,230$ एवं 231 रकबा 3.797 हैक्टर में से 3.583 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आराध्या टाउनशीन फेस 2 कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 6713.54 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01,29 से $57,124,125,127$ से 131,232 से 245,194 से 215,105 से 123 कुल 92 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6713.54 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विकय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः भववैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।
$\frac{\sqrt{4}}{-07-22}$

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. 1868 का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक 3 8 0712022

## विज्ञप्ति

नगर पालिक मिगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्री दिलीप कुमार पिता श्री शरदचंद्र जाधव भगतसिंह मार्ग देवास विकासकर्ता प्रेम डेवलपमेंट तर्फ पार्टनर श्री जितेन्द्र जैन पिता. स्व.श्री प्रेमचंद जी जैन निवासी 25 एम.एम.स्कीम न. 94 रिंग रोड इंदौर, श्री ललित भण्डारी पिता श्री ज्ञानचंद भण्डारी निवासी महावीर बाग इंदौर द्वारा ग्राम देवास जुनियर में रिथत खसरा क.790, 895/1 कुल रकबा 2.472 हैक्टर में से 2.0385 हैक्टर भूमि प्रस्तावित आवासीय रॉयल हैरिटेज कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 3624.53 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 18,33 से $49,66,67$ एवं 164 से 168 कुल 42 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3624.53 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है त्तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क. $/ 858 /$ का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक 14)07/2022

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर बीडीएस डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री भरत जैन पिता स्व.श्री प्रेमचंद जैन 117 शांती निकेतन कालोनी इदौर, श्री दर्शनलाल गोयल पिता श्री कन्हैयालाल गोयल आरएच- 29 पॉलीवाल सिटी, पालीवाल नगर मनीषपुरी इंदौर, श्रीमती आशा गोयल पति श्री सत्यनारायण गोयल 120 सीई स्कीम न. 140 गेट न. 02 पिपल्याहाना गणेश भवन के पास इंदौर द्वारा ग्राम देवास सिनियर में स्थित खसरा क. 411 . $412 / 1,412 / 2 / 1 / 1$ कुल रकबा 2.1712 हैक्टर में 2.1025 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आईरीस बी.डी.एस.पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 6247.76 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से $11,26,27,56$ से 84,96 से 100,121 से 131 कुल 58 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 6247.76 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय तही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्य किया जाता है ती वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $944 /$ का.सेल. $/ 22$

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स ट्रायडेट डेहलपर्स तर्फ भागीदार श्री आंनद पिता श्री वाल्मिकी चौरासिया, श्री विवेक पिता श्री भेरूलाल पाटीदार, झी मुकेश पिता शी बनेसिंह दीवान, श्री अर्जुन पिता श्री दरियावसिंह चौधरी निवासी 57 त्रिगोने नकरूल हैरिटेज बालगढ रोड देवास द्वारा ग्राम देवास जुनियर स्थित भूमि सर्वे क. $856 / 2,857 / 2$, $858,859 / 2,860$ एवं $862 / 2$ रकबां 1.595 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय शीनाथ रेसीडेन्सी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2576.6 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 12,49 से 52,58 से 69,76 से 78,84 से 87,127 कुल 36 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2576.6 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गयें है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, लब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्य नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है ततो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


[^0]
## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास（म．प्र．）

क्र． $1079 /$ का．सेल．$/ 22$ देवास दिनांक 29logl2022

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मारूति डेवलपर्स तर्फे भागीदार श्री अजयपालसिंह पिता श्री लालसिंह दावेडकर ，श्री सुभाष जाकेटिया पिता श्री मदनलाल जाकेटिया निवासी 122 कालानी बाग देवास द्वारा ग्राम मेढकीचक तहसील देवास स्थित भूमि सर्वे क．376， 378 रकबा 1.008 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय पुर्वाक्षराज सिटी एनेक्स कालोनी को विकास काय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकांस कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2538.39 वर्गमीटर के भूखण्ड क． 01 से 09， 25 से 37,45 एवं 56 से 71 कुल 39 भूखण्ड बंधक़ रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2538.39 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करां लिये जाते，तब तक उपरोक्त भूखण्ड़ों का क्र／विकय，नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्रेय／विक्रय किया जाता है वो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।




कालानी बाग देवास, श्री ओमप्रकाश पिता श्री हीरालाल यादव गवली मोहल्ला देवास द्वारा ग्राम जचंदानी 73 मिश्रीलाल नगर देवास, श्री रितेश पिता श्री मोहनलाल अग्रवाल 255 बी

$$
\begin{aligned}
& \text { बिलावली तहसील व } \\
& 183 / 1 / 1 / 3 / 1 / 1 /
\end{aligned}
$$

दिवास, श्रा आमप्र

$$
\text { वर्गमीटर के भूंखण्ड क. } 18 \text { से } 26,32 \text { से } 34,39 \text { से } 45 \text { एवं } 62 \text { से } 65 \text { कुल } 23 \text { भूखण्ड बंधक }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल } 2305.03 \text { वर्गमीटर है। विकास कार्य } \\
& \text { पेटे निगम में बंधक रखे गये है। }
\end{aligned}
$$

## 

## विज्ञप्ति

विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्य नही किया पिता श्री गणेशराम नैनानी 38 शुकवारिया हाट देवास, श्री विनोद पिता श्री भुरालाल नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर कान्हा ऐसोसिएटस तर्फे भागीदार श्री
प्रकाश पिता श्री हीरालाल यादव गवली मोहल्ला देवास द्वारा ग्राम

$$
\text { 183/1/1/3/1/1/1/2, } 186 \text { कुल रकबा } 1.2823 \text { हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित सुदंर पार्क }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { वाणज्यिक (थोक एवं विशिष्ट बाजार) कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति } \\
& \text { प्रदान की गर्ई है। उक्त कालोनी के विकास कार्ग }
\end{aligned}
$$

$$
\text { प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास क़ार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा } 2305.03
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय क्रिया जाता है तो वह पूर्णतः } \\
& \text { अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा। }
\end{aligned}
$$

## 

कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)
क्र. $146 y_{\text {का.सेल. } / 22}$
देवास दिनांक $29 / 12 / 202$
विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्री दीपक कुमार गर्ग पिता श्री मनुलाल गर्ग निवासी 117 तुकोगंज रोड नयापुरा देवास द्वारा ग्राम अमोना तहसील व जिला देवास सर्वे क. $177 / 2$ रकबा 1.943 हेक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय डीएमजी किंग्स पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1674.00 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 06 से 09,85 से 92 कुल 12 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1674.00 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अत: सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विघिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूख़्डों का कय/विक्य नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विकय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

$$
\text { Jivi }{\frac{c_{2}}{30-12-22}}
$$



## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $/ 94 /$ का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक 23)01/2023

## विज्ञप्ति

नगर.पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्रीमती ग़ायत्रीराजे पवार पति स्व.श्रीमंत तुकोजीराव पवार, श्रीमंत विकमसिंह पवार पिता स्व.श्रीमंत तुकोजीराव पवार, कनिका राजे पंवार पिता स्व.भ्रीमंत तुकोजीराव पवार निवासी आंनद पैलेस ए.बी.रोड देवास एवं कालोनी विकासकर्ता रीगल रॉयल्स स्केप्स पता एल.एल.पी. 309 टी.बी.सी.टावर गीता भवन चौराहा ए.बी. रोड इंदौर तरेफ पार्टनर सैम इंडस्ट्री लि. तर्फे डायरेक्टर श्री आशुतोष माहेश्वरी पिता श्री अशोक माहेश्वरी , श्री देवराजसिंह पिता स्व.श्री राजेन्द्रसिंह बडगरा.. श्री आदित्य बोरड पिता श्री मनीष बोरड, श्री करण नरसरिया पिता श्री श्याम नरसरिया एवं श्रीमती प्रिती आसुदानी पति श्री विजय आसुदानी देवास जिला देवास द्वारा ग्राम देवास सिनियर तह. व जिला देवास में रिथत खसरा $\overline{\text {. }} 381 / 995 / 2 / 2,381 / 996,381 / 997,381 / 1001 / 2,381 / 1002$, $381 / 1003,381 / 1004,381 / 1005,381 / 1006,381 / 1007,381 / 1008,381 / 1009$ एवं $381 / 1010 / 2$ कुल रकबा 5.0328 हैक्टर में. 4.3379 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय आनंद विलास कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 3368.46 वर्गमीटर के भूखण्ड क. एफ1 से एफ 11 एवं सी 7 कुल 12 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 3368.46 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्य किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

[^1]

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर ताज बिल्छकोंन तफे पार्टनर श्री पुनीत दिजयवगीय पिता की दिलीप विजयवर्गीय, श्री मुस्तफा पिता शी हैदर अली, शी हुसैन पिता \& मुत्तका अली. की हुजेफा पिता श्री मुस्तफा अली, श्री दिलीप कुमार पिता श्री सुरजमल दिजयवगीय 52 भगतसिंह मार्ग देवास द्वारा ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास सर्वे क $106 / 1 / 2,106 / 4 / 1 / 2$ कुल रकबा 1.805 हेक्टर में से 1.618 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय ताज रेसीडेंसी कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के साध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 2838.57 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 11 से 30,33 से 41, 51.52 , 57 से $59,71,74$ से $79,85,91,93$ एवं 105 कुल 45 भूखण्ड बंधक रसे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2838.57 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रंज गये है।

अत: सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से दिधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नुही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है हे वह पूर्णतः अंचनिक होकर शुन्यवत रहेगा।



## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क. $/ 178 /$ का.सेल. $/ 23$
देवास दिनांक3 010112023

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर श्रीजी रियल स्टेट तर्फे श्री वैभव पिता श्री गोपाल स्वरूप गुप्ता, श्री मोहित पिता श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवारतव 313 राजाराम नगर देवास द्वारा ग्राम मेढकीचक तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. 689/2, 691/1/4 कुल रकबा 0.493 हैक्टर में 0.400 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय कृष्णा विहार कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1360.06 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01,03 से 18 कुल 17 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1360.06 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

जतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधियत भारमुक्त नही करां लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय नही किया जादे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $1217 /$ का सेल. $/ 23$
देवास दिनांक 0 slo2) 202.3

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर मेसर्स गंगा ऐसोसिएट तर्फे भागीदार डॉ.हरिश पिता श्री गंगराम मंगलानी, श्री विनोद पिता श्री जेठानंद हासानंदानी, श्री विवेक पिता श्री डॉ.हरीश मंगलानी, श्री हर्ष पिता श्री विनोद हासानंदानी. श्री पवेल पिता श्री मनोज राजानी, श्री पलाश पिता श्री कैलाश राजानी पता $16 / 3$ सम्यक टावर ओल्ड पलासिया इंदौर द्वारा ग्राम मेढकीचक तहसील देवास रिथत भूमि सर्वे क.503/1/1/2/1/2/2, 504/2/2, $510 / 1,513 / 1,513 / 2,513 / 3,513 / 4,513 / 5 / 2,514 / 2$ रकबा 5.334 हैक्टर में से 5.2712 हैक्टर भूमि पर प्ररतावित आवासीय कैलाश पार्क कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4644.83 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 176 से 192,193 से 200,201 से 208. 209 से 217.218 से 221,222 एवं 223 कुल 48 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4644.83 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिकत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नही किया अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

$\frac{\text { जu }}{9.02-23}$

## कार्यालय नगर फलिक निगय देवारा (ग.प्र.)

## $357 /$ कासेल. 23

देवाश दिणाक) 3$)(13) 20$, 3

## विश्ञ氏ি

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोगाईणर आराख्या खेवलापर तर्फे भ्री पकण पण्ड स्ता बी घनश्याम पाण्डे, बीमती निधि पाण्डे पति घी पंकण पाण्डे निवारी 602 अल्याटर गेश़ सलौमार टाउनशीष छंदौर द्रारा ग्राम बीराखेखी तहरील व जिला देवारा रार्वे $\ddagger .221 / 1 / 2$ $21 / 3,233 / 1 / 2,234 / 1 / 1 / 2$ कुल रकबा 1.972 हैबटर गूभि पर प्रस्तावित आवारीय आराह्या प्रिमीयम रेसीडेंडी कालोनी को विकास कार्य प्रारंग करने की अनुपति प्रदान की गई 11 उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय lवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 4437.14 वर्गगीटर के भूखण्ड क. 01 से 04,15 से 21 , 16, 41 से $44,46,47,48,52,55,59$ से 77,109 से 113,123 से 126 कुल 49 गूखण्ड धिक रसे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 4437.14 वर्गगीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से वेधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विकय नही दिया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अंवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 20(1)(2) के अंतर्गत यथावर्णित देवास सीनियर की भूमि सर्वे क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखे गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत चतुर्थ बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते है। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हे अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्रस्थापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रि लिफाफा पद्धति प्रपत्रों में दिनांक 15.06 .2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो में नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखे गये टेण्डर बाक्स में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 14.06 .2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य रू. $1180 /$ - मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्थापना (आफर) दिनांक 16.06 .2023 को प्रात: 11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफे क. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त भुखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

| क. | प्लाट <br> क. | भूखण्ड का <br> कुल क्षेत्रफल <br> वर्गमीटर | न्यूनतम <br> प्तावित आफर <br> राशि वर्गमीटर <br> में | भूखण्ड की <br> आफर <br> राशि | दस प्रतिशत <br> अमानत <br> राशि | विक्रय किये <br> जाने वाले <br> भूखण्डों का <br> उपयोग |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 192 | 72 | 6500 | 468000 | 46800 | आवासीय |
| 2 | 196 | 72 | 6500 | 468000 | 46800 | आवासीय |

नोट :-

1. शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।
2. निविदा से संबंधित शर्ते एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।

(विशाल सिंह चौहान) साप्रसे,
आयुक्त नगर पालिक निगम देनास

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. / $764 /$ का.सेल. / 2023

:- पंचम निविदा विज्ञप्ति :-

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम $20(1)(2)$ के अंतर्गत यथावर्णित देवास सीनियर की भूमि सर्वे क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखे गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत पंचम बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते है। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हे अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्रस्थापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रि लिफाफा पद्धति प्रपत्रों में दिनांक 05.07.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो में नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखे गये टेण्डर बाक्स में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 04.07.2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य रू. 1180/- मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्थापना (आफर) दिनांक 06.07.2023 को प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफे क. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त भुखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

| क. | प्लाट <br> क. | भूखण्ड का <br> कुल क्षेत्रफल <br> वर्गमीटर | न्यूनतम <br> प्रस्तावित आफर <br> राशि वर्गमीटर <br> में | भूखण्ड की <br> आफर <br> राशि | दस प्रतिशत <br> अमानत <br> राशि | विक्रय किये <br> जाने वाले <br> भूखण्डों का <br> उपयोग |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 190 | 90 | 6500 | 585000 | 58500 | आवासीय |
| 2 | 191 | 72 | 6500 | 468000 | 46800 | आवासीय |
| 3 | 194 | 72 | 6500 | 468000 | 46800 | आवासीय |
| 4 | 200 | 82.32 | 6500 | 535080 | 53508 | आवासीय |
| 5 | 204 | 91.44 | 6500 | 594360 | 59436 | आवासीय |

नोट :-

1. शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।
2. निविदा से संबंधित शर्तें एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।

(विशाल सिंह चौहुन) राप्रसे
आयुस
नस्र पालिक निगम देवास

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

कर. 822 का.सेल. $/ 23$
देवास दिनांक 22)06/2023

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर भूमिस्वामी श्रीमती सुनिताबाई पति श्री कैलाशचन्द्र, शी अजय पिता श्री कैलाशचन्द्र, श्री हेमंत पिता श्री कैलाशचन्द्र निवासी गोमती नगर बालगढ देवास विकासकर्ता स्वास्तिक बिल्डकॉन तर्फे पार्टनर 01. श्री राजेश कुमार जैन पिता \&ी नेमीचंद जैन 02. ब्री अनुज जैन पिता श्री राकेश जैन 234 एम.आर. -5 महालक्ष्षी नगर इंदौर द्वारा ग्राम बालगढ तह. व जिला देवास में स्थित खसरा क. $308 / 1 / 2 / 2$, $308 / 1 / 2 / 1$ कुल रकबा 1.089 हैक्टर में से 0.955 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री कैलाश धाम कालोनी को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 2942.72 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 04 से 09,10 से 21,22 से 30 , 57 से 61 कुल 32 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2942.72 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्र/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का क्रय/विक्रय किया जाता है वी वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

$897 /$ का.सेल. / 23
देवास दिनांक 12 )07) 2023

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर बुद्धा इन्फास्ट्रक्वर तर्फे भागीदार श्री सयक पिता श्री प्रमोद रघुवंशी, श्री शंकर पिता श्री सोपान भोले, श्री अंक़ित पिता श्री राजन्द्र जायसवाल, श्री हरीश पिता श्री मुकुटराव कनसे पॉप न. 03 शारदा माता मंदिर कैलादेवी चौराहा देवास द्वारा ग्राम बावडिया प.ह.न. 38 तहसील देवास जिला देवास की भूमि सर्वे क. $249 / 2 / 2$ कुल रकबा 0.350 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय देवास बुद्धा पार्क एक्सटेंशन को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा उपपंजीयक कार्यालय देवास के माध्यम से भूखण्ड क्षेत्रफल 1042.44 वर्गमीटर के भूखण्ड क. 01 से 10, 13, 14, 20 एवं 23 .से 28 कुल 19 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 1042.44 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिवत भारमुक्त नहीं कऱा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का क्य/विक्रय नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विकय किया जाता है स्तावह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवत रहेगा।

## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

क्र. $190^{2} /$ का.सेल. $/ 22$
देवास दिनांक 2 2/07/2023

## विज्ञप्ति

नगर पालिक निगम देवास द्वारा कालोनाईजर रूद्राक्ष इन्फा तर्फे पार्टनर श्री गौरव जैन पिता श्री कैलाश कुमार जैन, श्री नवीनसिंह सोलंकी पिता श्री गंगा सिंह सोलंकी, श्री इन्द्देश पमनानी पिता श्री ओमप्रकाश पमनानी 90 शालीनी रोड देवास द्वारा ग्राम जेतपुरा तह. व जिला देवास में र्थित खसरा क. $470 / 1,470 / 2 / 2$ कुल रकवा 1.052 हैक्टर में से 1 . 051 हैक्टर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय श्री रूद्राक्ष वेली को विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कालोनी के विकास कार्य के एवज में कालोनाईजर द्वारा 2032.76 वर्गमीटर के भूख़ण्ड क. 24 से 28,37 से 48,67 से 78 कुल 29 भूखण्ड बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का क्षेत्रफल 2032.76 वर्गमीटर है। विकास कार्य पेटे निगम में बंधक रखे गये है।

अतः सूचित किया जाता है कि जब तक कालोनाईजर द्वारा इन भूखण्डों को निगम से विधिित भारमुक्त नही करा लिये जाते, तब तक उपरोक्त भूखण्डों का कय/विक्य नही किया जावे। यदि भारमुक्त से पूर्व उक्त भूखण्डों का कय/विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णतः अवैधानिक होकर शुन्यवंत रहेगा।


## कार्यालय नगर पालिक निगम देवास (म.प्र.)

विज्ञप्ति क्र. / 934 /कासेल. / 2023

## :- षष्टम निविदा विज्ञप्ति :-

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा मध्यप्रदेश नगर. पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम $20(1)(2)$ के अंतर्गत यथावर्णित देवांस सीनियर की भूमि सरें क. 414 एवं 415 द्वारका कालोनी के धरोहर रखे गये शेष भूखण्डों के विक्रय हेतु निम्नलिखित तालिका के अंतर्गत पंचम बार ऑफर्स आमंत्रित किये जाते है। निम्नलिखित भूखण्ड जो कि नगर निगम में धरोहर थे जिन्हे अधिकतम राशि में विक्रय करने हेतु प्ररथापना (सीलबंद ऑफर) निर्धारित त्रि लिफाफा पद्धति प्रपत्रों में दिनांक 08.08.2023 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अमंत्रित की जाती है। जो कि बन्द लिफाफो गें नगर निगम के कालोनी सेल विभाग में रखे गये टेण्डर वाक्स् में डाली जा सकेगी। प्रस्थापना (आफर) निर्धारित प्रपत्र दिनांक 07.08.2023 तक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित मुल्य रू. 1180/- मय जीएसटी जमा कर नगर पालिक निगम देवास के विविध काउन्टर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त प्ररथापना (आफर) दिनांक 09.08 .2023 को प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी। आफर खोलते समय आफरदाता उपर्थित रह सकते हैं। न्यूनतम प्रस्तावित आफर राशि की 10 प्रतिशत राशि पृथक लिफाफे क. 01 में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो की आयुक्त नगर निगम देवास के नाम पर हो आफर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के प्राप्त भुखण्ड के आफर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

| क. | प्लाट <br> क. | भूखण्ड का <br> कुल क्षेत्रफल <br> वर्गमीटर | न्यूनतम <br> प्रस्तावित आफर <br> राशि वर्गमीटर <br> में | भूखण्ड की <br> आफर <br> राशि | दस प्रतिशत <br> अमानत <br> राशि | विक्रय किये <br> जाने वाले <br> भूखण्डों का <br> उपयोग |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 191 | 72 | 6500 | 468000 | 46800 | आवासीय |
| 2 | 200 | 82.32 | 6500 | 535080 | 53508 | आवासीय |

नोट :-

1. शार्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम देवास के कालोनी सेल विभाग में देखी जा सकेगी।
2. निविदा से संबंधित शर्तं एवं विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम देवास की वेबसाइट www.dmcdewas.com पर भी देखी जा सकती है।

(विशाल सिंह चौहोन)रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम देवास

[^0]:    केषप $30-8-22$

[^1]:    $\frac{\frac{41}{2 m 21}}{23 \cdot 01 \cdot 23}$

